

राजस्थान सरकार  
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: प0 2 (ओएण्डएम) 13/2021/9191-9220


दिनांक: 10.03.2021

आदेश

राज्य सरकार, अन्य विभागों, जन प्रतिनिधियों एवं जन सामान्य से कृषि आयुक्तालय को प्राप्त होने वाली डाक अधोहस्ताक्षरकर्ता की निजी सचिव शाखा द्वारा संबंधित शाखा प्रभारी को निस्तारण हेतु प्रतिदिन लंच पूर्व भिजवाई जाती है।

प्रायः यह देखने में आया है कि विभिन्न शाखाओं की आवक-जावक शाखा में डाक प्राप्त करने वाले कार्मिक प्राप्त महत्वपूर्ण पत्रों को तत्काल प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत नहीं करते हैं जिससे महत्वपूर्ण एवं अति-आवश्यक प्रकृति की डाक के निस्तारण में विलंब होता है।

अतः सभी शाखा प्रभारी यह सुनिश्चित करें कि उनकी शाखा में प्राप्त होने वाले सामान्य प्रकृति के पत्र मध्याह्न पूर्व संबंधित अधिकारी को पहुँचा दिए जाए, वहीं आवश्यक एवं महत्वपूर्ण डाक को तत्काल संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत किया जाए।


  
(डॉ० ओम प्रकाश)  
आयुक्त कृषि

क्रमांक: प0 2 (ओएण्डएम) 13/2021/9191-9220

दिनांक: 10.03.2021

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. वित्तीय सलाहकार, कृषि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
2. निदेशक, राज्य स्तरीय कृषि प्रबंध संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर।
3. निदेशक, समेति, दुर्गापुरा, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार/आदान/अनुसंधान), मुख्यालय, जयपुर।
5. समस्त संयुक्त निदेशक (योजना प्रभारी) कृषि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
6. उप निदेशक कृषि (अभियांत्रिकी/ सूचना)
7. आहरण वितरण अधिकारी एवं उप निदेशक कृषि (गुण नियंत्रण), मुख्यालय, जयपुर।
8. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर।
8. केयर टेकर, पंत कृषि भवन, मुख्यालय, जयपुर।
9. आरक्षी पंजिका।

  
आयुक्त कृषि